

**समाहरणालय, मुंगेर।**  
(जिला निर्वाचन शाखा)

**आदेश**

सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: 08ब/नि0निर्वा0आ0-19-02/08 05/नगर नि0वि0आ0वि0 दिनांक: 16.04.2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन- उप मुख्य शीर्ष -00 लघु शीर्ष-109- पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिये प्रभर- उप शीर्ष- 0001- नगर निगम, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष 13 01 -कार्यालय व्यय, विपत्र कोड संख्या एन-201500109001 मांग संख्या-48 (गैर योजना) अन्तर्गत प्राप्त आवंटन ₹19.80 लाख (उन्नीस लाख अस्सी हजार) रुपये प्राप्त हुए है। जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ (3) में अंकित राशि उपावटित की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व आवंटित (राशि लाख रुपये में)	वर्तमान में आवंटित (राशि लाख रुपये में)	कुल
1	2	3	4	5
1	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर	1.50	0.00	1.50
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर	0.75	0.00	0.75
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	10.00	0.00	10.00
4	उप विकास आयुक्त	0.00	3.00	3.00
5	जिला स्तर पर सुरक्षित	0.00	4.55	4.55
योग:-		12.25	7.55	19.80

2. मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन- उप मुख्य शीर्ष -00 लघु शीर्ष-109- पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिये प्रभर- उप शीर्ष- 0001- नगर निगम, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष 13 01 -कार्यालय व्यय, विपत्र कोड संख्या एन-201500109001 मांग संख्या-48 (गैर योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम-4-05/98/2561 वि0(2) दिनांक: 17.04.1998 एवं पत्रांक: 2450 दिनांक: 17.04.1999 एवं पत्रांक: 422 दिनांक: 31.03.2012 के आलोक में निर्गत है।

5. आवंटित राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार, मुंगेर से चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में की जायेगी। यह राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगा। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

6. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत् क्रय समिति कर अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

7. राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर नहीं की जायेगी। यदि ए0सी0 विपत्र पर निकासी निर्वाचन कार्य हेतु अपरिहार्य हो तभी ए0सी0 विपत्र पर निकासी की जा सकेगी। किन्तु उसका डी0सी0 विपत्र शीघ्र तैयार कर महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाए। साथ ही अधोहस्ताक्षरी को भी कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाय।

8. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक: 31.03.2013 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की होगी।

9. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी के द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

ह0/-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका)  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 176 / नि०, दिनांक: 25/04/12

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका), मुंगेर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि: अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर/हवेली खडगपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करते हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका)  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।